

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:- श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या - 30/18

श्री गोती-ड० श्री कालु कुमावत निवासी- छाजवो का खेड़ा, तहसील-गाण्डन [कर्ग] -प्रार्थी

बनाम

श्री लक्ष्मण-ड० कालु कुमावत निवासी- छाजवो का खेड़ा, तहसील-गाण्डन [कर्ग] -विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक:- 22-2-18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छाजवो का खेड़ा पटवार हल्का के रिया तहसील मांडल/करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं. मुस्ताकित पिहले मुह पर अंकित कुल कित्ता 15 एकवा 18 बीघा 16 विस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुत्तदायिवा के सीमा विन्ध नहीं होने से आधे दिन सीमा रावधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिरामे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-1-18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में धिरी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उवात पटवार हल्का उवात तहसील मांडल/करेड़ा में स्थित आराजी नम्बर उवात कित्ता उवात एकवा उवात बीघा उवात विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलगास को 3507 रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की गौजूदगी में गौके व कब्जे की यथार्थिथि को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आरंभिक नं.बक्रा नं.

15		12 बिकरा
17		13 बिकरा
33	1 बीका	10 बिकरा
41		08 बिकरा
61		12 बिकरा
62		10 बिकरा
79		16 बिकरा
85	1 बीका	11 बिकरा
91	1 बीका	06 बिकरा
178	1 बीका	07 बिकरा
179	1 बीका	05 बिकरा
194	1 बीका	15 बिकरा
198	1 बीका	01 बिकरा
219	4 बीका	—
221	1 बीका	10 बिकरा

कुल बिकरा 15 बक्रा 18 बीका 16 बिकरा
